राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट–5/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 04-10-2019

आदेश 339

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी. बी. सिविट रिट याचिका संख्या 1693/17 के निर्णय आदेश 3.11.2017, डी.बी. अपील संख्या 965/2017 आदेश दिनांक 03.11.2017, डी.बी. अपील संख्या 18/18 निर्णय दिनांक 05.03.2018, एसबीसी पिटिशन रिट संख्या 11497/17 के अंतरिम आदेश दिनांक 19. 07.2017 एवं डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 1666/17 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र0सु0/अनु–3/2017 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल 4 के तहत लेवल 5 में 14600/– (अक्षरे चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर मासिक पारिश्रमिक की दर पर कार्यभार संभालने की तिथि से अधोलिखित शर्तो पर उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। उक्त समस्त नियुक्तियां उपरोक्त वर्णित अन्य रिट/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

क्रम संख्या	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
1.	699	श्री प्रकाश पाराशर	श्री बाल किशन पाराशर	15.09.1993	GEN/M	नागौर
2.	707	श्री अविनेश दुबे	श्री सुनिल दुबे	28.08.1991	GEN/M	मुख्यालय, जयपुर
3.	715	श्री मुकेश कुमार शर्मा	श्री सियाराम शर्मा	19.121987	GEN/M	दौसा
4.	716	श्री सुरेश कुमार पालीवाल	श्री नरसींग दास पालीवाल	01.08.1992	GEN/M	जैसलमेर
5.	721	श्री थान सिंह	श्री हड़वत सिंह	12.04.1994	GEN/M	बाड़मेर
6.	731	श्री विकास शर्मा	श्री मुकेश कुमार शर्मा	21.07.1993	GEN/M	भरतपुर
7.	742	श्री अंकित विजयवर्गीय	श्री रामप्रसाद विजयवर्गीय	08.09.1987	GEN/M	राजसमन्द
8.	768	श्री अभिषेक राय	श्री नवनीत राय	21.05.1990	GEN/M	पाली
9.	770	श्री रजत शर्मा	श्री विजय कुमार शर्मा	19.08.1995	GEN/M	भरतपुर
10.	799	श्री जितेन्द्र सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.12.1990	GEN/M	जोधपुर
11.	846	श्री योगेश शर्मा	श्री रामप्रसाद शर्मा	13.08.1988	GEN/M	भीलवाड़ा
12.	852	श्री विवेक पारीक	श्री प्रेमप्रकाश पारीक	29.12.1987	GEN/M	दौसा
13.	873	श्री कपिल देव शर्मा	श्री अशोक कुमार शर्मा	01.12.1992	GEN/M	मुख्यालय, जयपुर
14.	5925	श्री श्योपत राम	श्री शंकर लाल	01.025.1992	SC/M	श्रीगंगानगर
15.	5929	श्री दीपक कुमार तुनगारियां	श्री महेन्द्र कुमार	10.09.1993	SC/M	टोंक
16.	5961	श्री प्रभु दयाल	श्री भगवानाराम	21.06.1985	SC/M	जैसलमेर
17.	6005	श्री धर्मेन्द्र जोशी	श्री देवेन्द्र जोशी	07.04.1980	GEN/M	बांसवाड़ा

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में अथवा कोई लिखित प्रतिवेदन की सूचना नहीं मिलने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. परिवीक्षाकाल (**Probation Period**) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
4. दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ सहायक)के पद के पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार किया जा सकेगा।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अवकाश इत्यादि राजस्थान सेवा नियमों के तहत ही देय होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
7. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सही है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना फर्जी, कूटरचित पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा इनके सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
9. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
10. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही ड्यूटी ज्वाइनिंग दी जावें। पुलिस चरित्र सत्यापन में यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट (**Adverse Report**) पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
13. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफोर्मा में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावें।
14. अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, घोषणा पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों का मूल रूप (**Original Documents**) का मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण **Duty Joining** स्वीकार किया जावेगा तथा इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

4/10/19

(के0एम0 दूडिया)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1(ए)49 / पार्ट–5 / संस्था / बीमा / 2019 / 9065-9115 दिनांक : 04-10-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.1(6)प्र0सु0 / अनु–3 / 2017 दिनांक 27.09.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, संभाग / जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र0सु0 / अनु–3 / 2017 दिनांक 27.09.2019 की प्रति भेजकर लेख है कि उक्त वर्णित बिन्दूओं के अनुसार ही समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक (संस्थापन) / एपीएआर सैल, मुख्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित कर्मचारी ।
7. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक / केडर स्ट्रेंथ लिपिक
8. सेवा पुस्तिका लिपिक संबंधित कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,
9. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली / सिस्टम एनालिस्ट

4/10/19

(के0एम0 दूडिया)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।